दिल्ली राजपत्र भाग चार (असाधारण) में प्रकाशनार्थ

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
खाद्य सुरक्षा विभाग
ए–20, लारेंस रोड, औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली–35

संख्या : एफ 1.(3)/डी.ओ.–1/खा. सु. वि./2012/ 5185-5203 दिनांक :. 11-9-12

'अधिसूचना'

जबकि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (2006 का केन्द्रीय अधिनियम, 34) की, धारा 26 के साथ पठित, धारा 92 की उप–धारा (2) के खण्ड (1) के द्वारा प्रदान की गयी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा बनायी गयी खाद्य सुरक्षा एवं मानक (निषेध एवं बिक्री पर प्रतिबंध) विनियमन, 2011 की विनियमन 2.3.4 उन खाद्य पदार्थो को निषिद्ध करती है, जिनमें तम्बाकू और /या निकोटिन संघटक के रूप में प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि वे स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हैं ।

और जबकि, गुटका (किसी भी नाम से प्रचलित) तथा तम्बाकू और /या निकोटिन युक्त पान मसाला एक ऐसी खाद्य सामग्री है जिसमें आज कल तम्बाकू और /या निकोटिन काफी मात्रा में संघटक के रूप मे प्रयुक्त होते हैं ।

और जबकि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में तम्बाकू और/या निकोटिन युक्त गुटका और पान मसाला का, ऐसे खाद्य पदार्थ, जिनमें तम्बाकू और/या निकोटिन संघटक के रूप में काफी मात्रा में प्रयुक्त होता है, होने के कारण, उत्पादन, भण्डारण, बिक्री, परिवाहन, प्रदर्शन या वितरण निषिद्ध करना समीचीन है ।

अब इसलिये, खाद्य सुरक्षा एवं मानक (निषेध एवं बिक्री पर प्रतिबंध) विनियमन, 2011 की विनियमन 2.3.4 के अनुसरण में, गुटका के किसी भी नाम से एवं तम्बाकू और/या निकोटिन युक्त पान मसाला के किसी भी नाम

के० धमान

से बाजार में उपलब्ध होने हेतु, उत्पादन, भण्डारण, बिक्री, परिवाहन, प्रदर्शन या वितरण को, सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में निषिद्ध किया जाता है ।

के० बर्मन

(के.जे.आर.बर्मन)
आयुक्त, खाद्य सुरक्षा
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार,

संख्या : एफ 1.(3)/डी.ओ.–1/खा. सु. वि./2012/ 5185-5203 दिनांक : 11-9-12

प्रतिलिपि निम्न को अग्रसरित :

1. सचिव, भारत सरकार, स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली ।
2. प्रधान सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली ।
3. अध्यक्ष, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली–02
4. आयुक्त, दिल्ली पुलिस, आई.पी.इस्टेट. नई दिल्ली–02
5. आयुक्त, दिल्ली नगर निगम, <u>उत्तर/दक्षिण</u>, सिविक सेन्टर, दिल्ली ।
6. आयुक्त, दिल्ली नगर निगम, पूर्व, डी.एस.आई.डी.सी. काम्पलैक्स, कड़कडडूमा, दिल्ली ।
7. सभापति, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, पालिका केन्द्र, नई दिल्ली ।
8. मंडलीय आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली ।
9. सचिव, उपराज्यपाल, दिल्ली ।
10. आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली ।
11. आयुक्त, व्यापार एवं कर विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, व्यापार भवन, आई.पी.इस्टेट, दिल्ली ।
12. आयुक्त(आबकारी, मनोरंजन, एवं विलासिता कर) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, एल–ब्लाक, विकास भवन, आई.पी.इस्टेट, नई दिल्ली ।
13. महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवांए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली ।
14. सभी अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली
15. प्रधान सचिव (विधि एवं न्याय) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली

16. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दिल्ली छावनी बोर्ड, नई दिल्ली ।
17. सभी अभिहित अधिकारी/खाद्य सुरक्षा अधिकारी, खाद्य सुरक्षा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली
18. उप–सचिव, समन्वय शाखा, (सा.प्र.वि.) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, को (दो प्रतियों में) दिल्ली राजपत्र भाग चार (असाधारण) में प्रकाशनार्थ ।
19. गार्ड फाइल ।

के० बर्मन

(के.जे.आर.बर्मन)
आयुक्त, खा़द्य सुरक्षा
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार,